इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016—श्रावण 28, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2016

अधिसूचना क्रमांक 3602.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा 'मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (जागरूकता, पहचान, पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना) परियोजना, 2016' मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है.

(क) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.**—(1) यह योजना 'मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (जागरूकता, पहचान, पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना) परियोजना, 2016' कहलाएगी.

(2) यह परियोजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(3) यह परियोजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से आगामी दो वर्ष तक के लिए लागू होगी.

(ख) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है.

(2) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 से अभिप्रेत है.

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है.

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.

(5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्रधारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.

(6) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से आशय महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना से है.

(7) मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् से आशय मध्यप्रदेश शासन के योजना विभाग के अधीन मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था से है जो मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के नाम से जानी जाती है.

(8) इस परियोजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में है, जो इस परियोजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

(ग) **परियोजना का विवरण.**—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत मण्डल के गठन से लेकर वर्तमान में आज दिनांक 30 जून 2016 तक 24,68,824 (चौबीस लाख अढ़सठ हजार आठ सौ चौबीस) कर्मकार पंजीकृत हुए हैं. इनके कल्याण हेतु मण्डल के द्वारा विभिन्न 22 कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत संचालित इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र कर्मकार को अपना वार्षिक अभिदाय देने तथा पिछले केलेण्डर वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत होने के संबंध में प्रमाण देना आवश्यक होता है. पंजीयन के बाद विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ सुसंगत दस्तावेज भी उपलब्ध कराना होते हैं.

जागरूकता के अभाव में योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता होते हुए भी समय पर पंजीकरण न होने की वजह से और समय-सीमा में आवेदन प्रस्तुत न होने के कारण हजारों की संख्या में निर्माण श्रमिक उनके लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम, 2002 के नियम 280 के अंश 'क' से 'ङ' में मण्डल के निम्नांकित उद्देश्य/क्रियाकलाप दर्शाये गये हैं:—

(क) भवन कर्मकारों के नियोजन का पैटर्न, कौशल, आय, मजदूरी तथा कार्य करने की शर्तों और उनके कल्याण के लिए आशयित शासन तथा मण्डल के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव को अभिनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन आदि करना.

(ख) उनके कानूनी अधिकार, उन अधिकारों को प्रवर्तित कराने की प्रक्रिया, शिकायतों को दूर करना और विभिन्न कल्याण तथा विकास स्कीमों का लाभ उठाने के प्रति उनमें जागरूकता का प्रसार करना.

(ग) महिलाओं तथा संतानों के स्वास्थ्य में सुधार, छोटे परिवार की अवधारणा और सामाजिक बुराईयों जैसे मद्यपान, दहेज, बाल विवाह आदि को दूर करना.

(घ) भवन कर्मकारों के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक तथा आमोद-प्रमोद के क्रियाकलाप संचालित करना और हिताधिकारियों के लिए अध्ययन दौरे (टूर) आयोजित करना, और

(ङ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य क्रियाकलाप, जिनका उद्देश्य भवन कर्मकारों के समग्र कल्याण में अभिवृद्धि करना हो.

मण्डल के द्वारा सम्यक् विचार के उपरान्त, उपरोक्त उद्देश्यों/कार्यों की पूर्ति करने हेतु आगामी दो वर्षों तक एक सघन अभियान चलाने हेतु निर्णय लिया गया है. चूंकि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल या श्रम विभाग का अमला विकासखंड स्तर से नीचे उपलब्ध न रहने के कारण तथा पंचायत राज के संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन में व्यस्तता की वजह से मण्डल की योजनाओं के क्रियान्वयन में पर्याप्त रूचि नहीं दिखाने के कारण, इस सघन अभियान के क्रियान्वयन का दायित्व मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् को सौंपने का निर्णय लिया गया है. इस कार्य हेतु मण्डल के द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् से एम.ओ.यू. किया जाएगा. इन कार्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए रुपए 500/- प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक की व्यय राशि का भुगतान दो वर्षों के लिए मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् को मण्डल के द्वारा किया जाएगा.

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम का संचालन प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 12,000 से अधिक छात्र द्वितीय वर्ष में एवं 12,000 से अधिक छात्र प्रथम वर्ष में पंजीकृत होकर कुल 24,000 से अधिक छात्र उपलब्ध हैं, जिनकी सेवाएं इस अभियान में ली जा सकती हैं.

इन छात्रों का व्यावहारिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शासन के विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं को समझने तथा जनता तक पहुंचाने का दायित्व है. जन अभियान परिषद् द्वारा इन छात्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए सर्वे करना, हितग्राहियों को चिन्हित करना, योजना का लाभ हितग्राही तक पहुंचाने हेतु आवश्यक दस्तावेज जुटाकर संबंधित हितग्राही तक पहुंचाने का कार्य, जन-जागरण के विभिन्न कार्यक्रम दक्षतापूर्वक सम्पादित किये जा रहे हैं. अतएव जन अभियान परिषद् मण्डल के उपरोक्त कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करने में सक्षम है.

जन अभियान परिषद् द्वारा उपरोक्तानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिमाह रुपये 500/- तक अपना व्यय सीमित रखते हुए मण्डल के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी और मण्डल को प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत में निम्नांकित गतिविधियों के संबंध में मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से वास्तविक विवरण (real time data) उपलब्ध कराया जाएगा:—

(1) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अन्तर्गत पहले से जो पंजीकृत कर्मकार हैं, उनका सत्यापन करना. सत्यापन में यदि पात्र पाये गये हैं और उनका पंजीयन अभी वैध नहीं है तो उनका पंजीयन कराने की कार्यवाही करना.

(2) संबंधित ग्राम पंचायत में निवासरत सभी लोगों का सर्वे करते हुए उन निर्माण श्रमिकों की पहचान करना जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नहीं कराया है तथा उनके निर्माण श्रमिक होने के संबंध में आवश्यक दस्तावेज जुटाते हुए उनके पंजीयन की कार्यवाही सम्पन्न कराना.

(3) मण्डल की विभिन्न 22 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने हेतु पात्र हितग्राहियों को समय पर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जागरूक करना, उनके आवेदन संबंधी आवश्यक दस्तावेज जुटाना और संबंधित पदाहिभित अधिकारी तक पहुंचाकर हितलाभ दिलवाना सुनिश्चित करना.

(4) श्रमिकों एवं उनके परिवार का स्वास्थ्य पोषण, छोटे परिवार की अवधारणा और सामाजिक बुराईयों जैसे मद्यपान, दहेज, बाल विवाह आदि को दूर करना, स्थानीय निकायों से मिलकर भवन कर्मकारों के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक तथा आमोद-प्रमोद के क्रियाकलाप संचालित करना, उनके कानूनी अधिकारों का प्रचार-प्रसार करने के लिए जन-जागरण कार्यक्रम/चौपाल आदि का नियमित आयोजन करना और उनके संबंध में फोटोग्राफ्स और विडियों क्लिप्स मोबाइल एंप्प के माध्यम से विभाग की बेवसाईट पर समय-समय पर नियमित रूप से उपलब्ध कराना.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल तथा श्रम विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जन अभियान परिषद् के अधिकारियों, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों तथा मेंटर्स के प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित किये जाएंगे और वे विकासखण्ड स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षाओं में पहुंचकर सीधे छात्रों से भी सम्पर्क स्थापित करते हुए इस सघन अभियान का संचालन करेंगे.

मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016